


उपखण्ड अधिकारी छमड़ा जिला बारां (राज)

157/25

दिनांक 27.09.25

- :: निर्णय :: -

प्राथी श्री धनराज पुत्र, पुर्ण, श्री प्रभुलाल न. पाषाण-
 त्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपल्या जागीर पटवारी खोपर तहसील छमड़ा
 ला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 129 में खातेदार/गैरखातेदार का
 म/जर्ती धन्नालाल पुत्र प्रभुलाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से
धनराज पुर्ण अंकित किया जावे। प्राथी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी खोपर
 करवाने पर पटवारी ने धन्नालाल के बजाय धनराज पुर्ण धन्नालाल
 करना उचित बताया। तहसीलदार छमड़ा ने भी उक्त खाते में धन्नालाल
 बजाय धनराज पुर्ण धन्नालाल करना उचित बताया।
 अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर भा.स. 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
 नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू. अगिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 म पीपल्या जागीर के खाता संख्या 129 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जर्ती धन्नालाल
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप से धनराज पुर्ण धन्नालाल दर्ज करने का
 देश दिया जाता है। तहसीलदार छमड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छमड़ा जिला बारां
 राजस्थान